हरिभूमि
epaper.haribhoomi.com
Raipur Bhoomi - 21 Aug 2025 - Page 10

शराब घोटाला में शामिल 28 आबकारी अफसरों को कोर्ट का वारंट

हरिभूमि न्यूज ▶▶| रायपुर

करोड़ों के शराब घोटाला में आरोपी बनाए गए 28 आबकारी अधिकारियों के खिलाफ बुधवार को ईओडब्लू की स्पेशल कोर्ट ने वारंट जारी किया है। आबकारी अफसरों को कोर्ट में उपस्थित होने निर्देश दिए गए थे, लेकिन अफसर कोर्ट में उपस्थित नहीं हुए। आदेश की अवहेलना करने पर कोर्ट ने सभी आबकारी अफसरों पर पांच-पांच सौ रुपए जुर्माना लगाया है। बताया जा रहा है, आबकारी अफसर अपनी गिरफ्तारी के डर से कोर्ट में पेश नहीं हुए। मामले की अगली सुनवाई 23 सितंबर को होनी है।

शराब घोटाला में घोटाले का किंग पिन पूर्व आईएएस अनिल टूटेजा, अनवर ढेबर सहित 15 आरोपी न्यायिक रिमांड पर जेल में बंद हैं। शराब घोटाले में शामिल अधिकारियों के खिलाफ ईओडब्ल्यू ने कोर्ट में चालान पेश कर दिया है और हाईकोर्ट उनकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर चुका है। जिन अधिकारियों के खिलाफ वारंट जारी किया गया है, उनमें प्रमोद नेताम, नीतू नोतानी, एलएस ध्रुव, इकबाल अहमद खान, जनार्दन सिंह कौरव, अरविंद पाटले, दिनकर वासनिक, नोहर ठाकुर, नवीन तोमर, विकास गोस्वामी, रामकृष्ण मिश्रा, मंजूश्री कसेर, विजय सेन, मोहित जायसवाल, गंभीर सिंह नुरूटी, नीतिन खंडूजा, अश्वनी अनंत, अंनत सिंह, सोनल नेताम, गरीब पाल सिंह, सौरभ बक्शी, जेठूराम मंडावी, देवलाल वैद्य, प्रकाश पाल, आशीष कोसम और राजेश जायसवाल के नाम शामिल हैं।

चालान पेश होने के बाद दागी अफसर निलंबित

शराब घोटाले में 29 आबकारी अफसरों के शामिल होने का ईओडब्लू, एसीबी ने आरोप लगाया है। इनमें से एक अफसर की मौत हो चुकी है। छह सेवानिवृत्त हो चुके हैं। कोर्ट में चालान पेश होने के बाद शासन के निर्देश पर शेष 22 अफसरों को निलंबित किया गया है। इन सभी पर सिंडिकेट में शामिल होने का आरोप है। सिंडिकेट में काम कर रहे अफसरों पर 88 करोड़ से ज्यादा की रकम अवैध तरीके से कमाने का आरोप है।